

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सहस्रदु इलवदर व S.D.O. मुकाम... जायद

... वपुमाराम बनाम ... अगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा... 111,120 RURAET नं. 291/17 सन् 2017

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 19/12/17   | प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ... इमप्रियंट-चौधरी<br>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ... 111,120 RURAET<br>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।<br>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन<br>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ... 24/01/18 को पेश हो। |  |
| 24/01/18   | प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथीगण<br>के नोटिस तामिल सुडा प्राप्त जिसे<br>शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथीगण<br>वाकजुड तामिल अनुपस्थित। अलः वास्ते<br>वास्त पत्रावली दिनांक 28/02/2018 के पेश हो।  |  |
| 28/02/18   | प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथीगण<br>वाकजुड तामिल अनुपस्थित। प्राथी के वकील<br>की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्राथी के<br>अधिवक्ता ने बताया की प्राथी के अपने<br>खालेदारी खेतों के चारों ओर पन्डू नेषम<br>स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्राथी<br>का नेषमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउर  |  |

नेथमबनी मादेश विद्या जावे। अलः पायीं हा नेथम-  
बनी आवेदन स्वीकार विद्या जाउर लहमीलगा वामु  
को उमिशान निमुक्त विद्या जाला हे व मादेशा दिव्या  
जाला हे वि आप स्वसं या अपने अशिनल्य किमी  
मी मू. ममिलेय निरिस्तु हे पायीं हे ध्यातेगरी  
येतो ही पन्ही नेथमबनी मते पर बुलुड जमा-  
उराउर उरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पभावली हे, पभावली फेमल बुमार हे. दर्ज  
नम्बर हे उम हे, दाखिल इतर हे।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/ 309  
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक:- 28/02/2018  
विप्रार्थीगण

1. श्री खुमाराम पुत्र विशनाराम  
जाति मेघवाल निवासी माडपुरा  
पुराना गांव, माडपुरा बरवाला  
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. श्री भगाराम पुत्र पीथाराम वगैरा  
18 निवासी माडपुरा पुराना गांव,  
माडपुरा बरवाला तह. बायतु  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 291/17

आदेश

मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार हल्का माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 412/298, 413/298, 414/298 रकबा कमशः 10.06, 11.00, 00.14 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 28/02/2018

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खुमाराम पुत्र विशनाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री भगाराम पुत्र पीथाराम वगैरा 18।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु। **नामाना**

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु